

सचिका स0-7 / बजट-46-12 / 2021(खड-02) - 123(7)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 30/06/2025

विषय:- राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में 60:40 के अनुपात में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,61,54,66,667/- (रुपये तीन अरब इकसठ करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 9,03,86,66,667/- (रुपये नौ अरब तीन करोड़ छियासी लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के आलोक में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बतीस लाख) मात्र एवं उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 62,18,00,000/- (रुपये बासठ करोड़ अठारह लाख) मात्र अर्थात् कुल रु० 6,04,50,00,000/- (रुपये छः अरब चार करोड़ पचास लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय उपबंध के अधीन उपलब्ध राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्राक-2307, दिनांक-26.06.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गई माँग के आलोक मे NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद मे केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद मे एव उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,61,54,66,667/- (रुपये तीन अरब इकसठ करोड़ चौवन लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 9,03,86,66,667/- (रुपये नौ अरब तीन करोड़ छियासी लाख छियासठ हजार छः सौ सड़सठ) मात्र के आलोक मे वर्तमान मे केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड़ बतीस लाख) मात्र एव उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 62,18,00,000/- (रुपये बासठ करोड़ अठारह लाख) मात्र अर्थात् कुल रु० 6,04,50,00,000/- (रुपये छः अरब चार करोड़ पचास लाख) मात्र सहायक अनुदान मद मे वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय उपबंध के अधीन उपलब्ध राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जाना है।

ly

2- उक्त प्रसंग में NHM अन्तर्गत Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under National Health Mission मद में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में एव उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 3,61,54,66,667/- (रुपये तीन अरब इकसठ करोड चौवन लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र अर्थात् कुल रु० 9,03,86,66,667/- (रुपये नौ अरब तीन करोड छियासी लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र के आलोक में वर्तमान में केन्द्रांश मद की राशि रु० 5,42,32,00,000/- (रुपये पाँच अरब बियालिस करोड बतीस लाख) मात्र एव उक्त राशि के विरुद्ध राज्यांश मद की समानुपातिक कुल राशि रु० 62,18,00,000/- (रुपये बासठ करोड अठारह लाख) मात्र अर्थात् कुल रु० 6,04,50,00,000/- (रुपये छ अरब चार करोड पचास लाख) मात्र सहायक अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजटीय उपबध के अधीन उपलब्ध राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्र के प्रसंग में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से आवटनादेश द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत् है -

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR						
Details of Fund receivable from Govt of India(2025-26)						
Sl No	Letter no			Amount(Central Shares-60%)	Amount(State Shares-40%)	Total
1	Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission under national Health Mission					
	G.27017/01/2025-26/NHM-F/FTS-8328765 dt 25.06 25	General	3601-06-101-16-06-31(GBS)	2720800000	1813866667	4534666667
			3601-06-101-16-06-35(GBS)	3023000000	2015333333	5038333333
			Total	3023100000	2015400000	5038500000
		SC	3601-06-789-80-01-31(GBS)	7768000000	5178666667	12946666667
			3601-06-789-80-01-35(GBS)	863000000	575333333	1438333333
			Total	8631000000	5754000000	14385000000
		ST	3601-06-796-86-01-31(GBS)	626000000	417333333	1043333333
			3601-06-796-86-01-35(GBS)	70000000	4656667	11666667
			Total	696000000	464000000	1160000000
		PMSSN	3601-06-101-16-08-31	1467400000	978266667	2445666667
			Total(General+Sc+ST+PMSSN)	5423200000	3615466667	9038666667

4- केन्द्रांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा -

- (i) माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210012000209, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 6,00,00,00,000/- (रुपये छ. अरब) मात्र में से रु० 2,72,08,00,000/- (रुपये दो अरब बहतर करोड आठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

- (ii) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाए, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210012000209**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 7,00,00,00,000 /-(रुपये सात अरब) मात्र मे से रु० 30,23,00,000 /-(रुपये तीस करोड तेईस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iii) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि (PMSSN) के तहत केन्द्राश मद मे माग की गई राशि माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाए, उपशीर्ष- 0209- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210012000209**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**-सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 7,00,00,00,000 /-(रुपये सात अरब) मात्र मे से रु० 1,46,74,00,000 /-(रुपये एक अरब छियालिस करोड चौहतर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iv) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210017890201**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 04**-सहायक अनुदान-वेतन मद मे उपबधित राशि रु० 4,00,00,00,000 /-(रुपये चार अरब) मे से रु० 77,68,00,000 /-(रुपये सतहत्तर करोड अडसठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (v) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियो के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0201-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, **विपत्र कोड-20-2210017890201**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, **विषय शीर्ष-31 06**- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि रु० 3,00,00,00,000 /-(रुपये तीन अरब) मे से रु० 8,63,00,000 /-(रुपये आठ करोड तिरराठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (vi) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन **विपत्र कोड-20-2210017960219**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 **विषय शीर्ष-31 04**-सहायक अनुदान-वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 25,00,00,000 /-(रुपये पच्चीस करोड) में से रु० 1,75,00,000 /-(रुपये एक करोड पचहत्तर लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (vii) माग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0219-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन **विपत्र कोड-20-2210017960219**, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063 **विषय शीर्ष-31 06**- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद मे उपबधित राशि कुल रु० 80,00,00,000 /-(रुपये अस्सी करोड) मे से रु० 5,21,00,000 /-(रुपये पाँच करोड इक्कीस लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।

hi

5- राज्यांश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबधित राशि से घटकवार विकलनीय होगा-

- (i) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0301-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04- सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 34,00,00,000/- (रुपये चौतीस करोड) मात्र में से रु० 21,54,00,000/- (रुपये इक्कीस करोड चौवन लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (ii) माग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0301-एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में उपबधित राशि कुल रु० 1,00,00,00,000/- (रुपये एक अरब) मात्र में से रु० 36,00,00,000/- (रुपये छत्तीस करोड) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iii) माग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-उप शीर्ष- 0319- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017960319, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 04- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में बजट उपबध से प्राप्त कुल राशि रु० 12,00,87,000 /-(रुपये बारह करोड सतासी हजार) मात्र में से रु० 64,00,000 /-(रुपये चौसठ लाख) मात्र की राशि विकलनीय होगी।
- (iv) माग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-01-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाए-एलोपैथी, लघु शीर्ष- 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-उप शीर्ष- 0319- एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210017960319, पी0एफ0एम0एस0 कोड-4063, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-गैर वेतन मद में बजट उपबध से प्राप्त कुल राशि रु० 20,00,00,000 /-(रुपये बीस करोड) में से रु० 4,00,00,000 /-(रुपये चार करोड) मात्र राशि विकलनीय होगी।

6- राज्यांश मद में माग की गयी राशि 3,61,54,66,666/- (रुपये तीन अरब इकसठ करोड चौवन लाख छियासठ हजार छ सौ छियासठ) मात्र के विरुद्ध वर्तमान में कुल 62,18 00,000 /-- (रुपये बासठ करोड अठारह लाख) मात्र उपलब्ध कराया जा रहा है । शेष राशि कुल 2,99,36,66,667 /- (रुपये दो अरब निन्यानवे करोड छत्तीस लाख छियासठ हजार छ सौ सडसठ) मात्र प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त होने के उपरान्त उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

7 इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाए, बिहार, पटना होंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति वित्त विभाग के पत्र सं०-870 दिनांक-25.01.2024 के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

8- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी वित्त विभाग के अद्यतन परिपत्र के आलोक में करते हुए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के निम्नवत् SNA में राशि हस्तान्तरित कराना सुलभ करायेगे-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	खाता का नाम	खाता संख्या	आई०एफ०एस० कोड	बैंक का नाम
National Health Mission	State Health Society Bihar	625901143308	ICIC0006259	ICICI Bank, Exhibition Road Branch, Patna

9- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

10- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या-7/बजट-46-12/2021 (खंड-02) के पृष्ठ- 32 /टि० पर प्राप्त है।

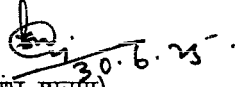
11- प्रस्ताव एवं प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

12- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

13- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14- एतदसंबंधी आवटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-7/बजट-46-12/2021 (खंड-02)- 123 (7) / स्वा०, पटना, दिनांक- 30/06/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

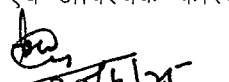
प्रतिलिपि- सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, राज्य स्वास्थ्य मिशन (एन०एच०एम०), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम न०-331-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- उप निदेशक(ए०जे०एस०)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम न०-523-सी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
Munad